

15 $\frac{7}{25}$

प्राथमिक अधिवक्ता उपस्थित। प्राथमिक अधिवक्ता के द्वारा प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA नोटिफिकेशन किया।

प्राथमिक अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। निम्न प्राथमिक अधिवक्ता द्वारा प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA नोटिफिकेशन करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 11/06/25 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली निम्न लिंक नम्बर से कर लेकर दाखिल कर ले।

Note Pass
अमानस
Adv.
15/7/25



सहायक कलेक्टर एवं उज्जैन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकटरापुर (श्रीगंगानगर)